



7-69  
23/4/2024

झारखंड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

कार्यालय आदेश

SNA अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना Pre Matric Scholarship for SC Students का वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात् योजना का अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न प्रकार Limit Allocated किया जाता है :-

क्र०	जिला / Implementing Agency का नाम	Allocated राशि
1.	साहेबगंज	76,500
2.	दुमका	2,45,218
3.	बोकारो	7,21,307
4.	चतरा	3,51,550
5.	देवघर	12,01,774
6.	धनबाद	5,53,500
7.	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1,71,000
8.	गढ़वा	7,09,390
9.	गिरिडीह	16,33,500
10.	गोडड़ा	18,000
11.	हजारीबाग	30,50,323
12.	खूँटी	49,500
13.	कोडरमा	81,000
14.	लातेहार	9,000
15.	लोहरदगा	0
16.	पलामू	22,79,974
17.	राँची	41,736
18.	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	2,02,788
19.	गुमला	7,72,914
20.	रामगढ़	2,02,500
21.	सिमडेगा	49,500
22.	पाकुड़	3,15,000
23.	जामताड़ा	5,28,791
24.	सरायकेला खरसावाँ	16,715
कुल :-		1,32,81,480

(एक करोड़ बत्तीस लाख ऐकासी हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र।

2. भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 की कंडिका-3 के अनुरूप Drawing Limit राशि निर्धारित की जाती है एवं कंडिका-7 "The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts" का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

3. आवंटित राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No.1(13)/PFMS /FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 एवं पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2022 दिनांक-07.07.2021 के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

4. योजना के क्रियान्वयन में वित्त नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/परिपत्र तथा सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों/पत्रांक/मार्ग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10.


5. राशि का भुगतान संपादित कार्य के विरुद्ध ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक-SNA/ 769

राँची, दिनांक- 23-04-2024


प्रतिलिपि-संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, झारखण्ड/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड राँची/लेखा शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक-SNA/ 769

राँची, दिनांक- 23-04-2024

प्रतिलिपि-सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

